

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क निरीक्षकों की विभागीय परीक्षा
DEPARTMENTAL EXAMINATION OF INSPECTORS OF CENTRAL EXCISE

प्रश्न पत्र — IV (PAPER — IV)
विधि (सपुस्तक) — LAW (With Books)

दिनांक : 19.06.2013 (DATE : 19.06.2013)
समय : 2.00 ओ 5.00 ओ (TIME: 2.00 PM to 5.00 PM)

पूर्णांक : 100 (MAXIMUM MARKS : 100)
उत्तीर्णांक : 50 (PASS MARKS : 50)

टिप्पणी :

1. किन्हीं पाँच प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्न संख्या 7 अनिवार्य है।
2. सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
3. परीक्षार्थी हिंदी में उत्तर दे सकते हैं।
4. सभी उत्तरों के साथ सुसंगत प्राधिकार का उल्लेख अवश्य करें।

Note:

1. Answer any five questions. **Question no. 7 is compulsory.**
2. All questions carry equal marks.
3. Candidates have options to answer in Hindi.
4. Relevant authority must be quoted with all answers.

संबंधित पुस्तकें :

1. भारतीय संविधान
2. भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का 45)
3. दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2)
4. सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5)
5. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 (1872 का 1)
6. अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम 1931 (1931 का 16)

CONCERNED BOOKS :

1. The Constitution of India
2. The Indian Penal Code 1860 (45 of 1860)
3. The Code of Criminal procedure 1973 (2 of 1974)
4. The Code of Civil Procedure 1908 (5 of 1908)
5. The Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872)
6. The Provisional collection of Taxes Act, 1931 (16 of 1931)

प्रश्न 1. निम्नलिखित में से किन्हीं चार को परिभाषित करें। प्रत्येक विधि में से न्यूनतम एक परिभाषा लिखना अनिवार्य है।

<u>दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973:</u>	(क) शिकायत	(ख)	जांच-पड़ताल
<u>भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872:</u>	(ग) मामले के तथ्य	(घ)	मौखिक साक्ष्य
<u>भारतीय दण्ड संहिता, 1860 :</u>	(ङ) न्याय की अदालत	(च)	कपटपूर्वक
<u>सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908:</u>	(छ) अधिकार दिलाने वाला आदेश	(ज)	वाद पर स्थगन

Q. 1. Define any four of the following. **One definition from each is compulsory.**

<u>Code of Criminal Procedure, 1973:</u>	a) Complaint	b)	Inquiry
<u>Indian Evidence Act, 1872:</u>	c) Fact in issue	d)	Oral Evidence
<u>Indian Penal Code, 1860:</u>	e) Court of Justice	f)	Fraudulently
<u>Code of Civil Procedure, 1908:</u>	g) Decree	h)	Stay of suit

प्रश्न 2. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अधीन किन्हीं तीन की व्याख्या करें :-

(क) अपराध तत्व—निकाय समूह	(ङ) साक्ष्य की प्रस्तुति एवं प्रभाव और प्रमाण की जिम्मेदारी
(ख) लेखा प्रविष्टियाँ जब प्रासंगिक हो	(च) साक्षी की योग्यता, सक्षमता, विशेषाधिकार व ग्राह्यता
(ग) गौण साक्ष्य	
(घ) स्वीकृति निश्चायक प्रमाण नहीं है लेकिन विबंधन है	

Q.2. Explain any three under the Indian Evidence Act, 1872:-

- | | |
|---|--|
| 1) Corpus delicti. | 5) Production and Effect of evidence of the Burden of proof. |
| 2) Entries in books of account when relevant. | 6) Competency, compellability, privilege and admissibility of witness. |
| 3) Secondary evidence. | |
| 4) Admissions not conclusive proof, but may stop. | |

प्रश्न 3. सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन निम्नलिखित में से किन्हीं तीन का वर्णन करें।

- खोज, जांच आदि का आदेश देने की न्यायालय की शक्ति
- निष्पादन को लागू करने की न्यायालय की शक्ति
- विदेशी न्यायालयों द्वारा जारी किए गए पत्र
- विदेशियों के विरुद्ध वाद
- न्यायालय के मांगने पर राय देने की शक्ति

Q.3. Describe any three of the following under the Code of Civil Procedure, 1908.

- 1) Power of Court to order discovery and the like.
- 2) Power of Court to enforce execution.
- 3) Commissions issued by foreign courts.
- 4) Suits against aliens.
- 5) Power to state a case for opinion of Court.

प्रश्न 4. अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम 1931 के अधीन निम्नलिखित का वर्णन करें।

- क) अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम 1931 के अधीन प्रावधान के बारे में घोषणा व घोषणाएं करने की शक्ति
- ख) अनंतिम कर संग्रहण अधिनियम 1931 के अधीन घोषणाओं का प्रभाव

Q.4. Describe the following under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931.

- a) Declared provision and power to make declarations under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931
- b) Effect of declarations under the Provisional Collection of Taxes Act, 1931.

प्रश्न 5. निम्नलिखित में से किन्हीं पांच के बारे में यह बताने का प्रयास करें कि भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अधीन उनके लिए क्या दण्ड विहित है।

- (क) लोकसेवक द्वारा पारितोषण लेना
- (ख) लोकसेवक द्वारा गैर-कानूनी तरीके से जायदाद खरीदना या बोली लगाना
- (ग) लोकसेवक द्वारा दंगों के नियंत्रण के दौरान उस पर हमला करना या व्यवधान पैदा करना
- (घ) अदालती सम्मन प्राप्ति या कार्यवाही की उपेक्षा करके भागना
- (ङ) घूस लेना
- (च) झूठी सूचना देना
- (छ) न्यायालय में धूर्तता से झूठे दावे करना

Q. 5. Attempt any five. What is the punishment under the Indian Penal Code, 1860?

- a) Public servant taking gratification.
- b) Public servant unlawfully buying or bidding for property.
- c) Assaulting or obstructing public servant when suppressing riot, etc.
- d) Absconding to avoid service of summons or other proceeding.
- e) For Bribery.
- f) Furnishing false information.
- g) Dishonestly making false claim in Court.

प्रश्न 6. दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के अनुसार निम्नलिखित में से किन्हीं तीन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

- (क) वारण्ट मामले
- (ख) दस्तावेज व अन्य चीजों को प्रस्तुत करने के लिए सम्मन
- (ग) एक से अधिक अपराध के लिए मुकदमा
- (घ) भारत के बाहर किए गए अपराध

Q. 6. Write a short note on any three of the following as per Code of Criminal Procedure, 1973.

- a) Warrant – case.
- b) Summons to produce document or other thing.
- c) Trial for more than one offence.
- d) Offences committed outside India.

प्रश्न 7. सम्बद्ध प्राधिकार सहित भारतीय संविधान के अधीन निम्नलिखित में से किन्हीं तीन का वर्णन करें।

- (क) वित्त विधेयक व संसद में इनकी प्रस्तुति
- (ख) संसद में बहस पर रोक व संसद की कार्यवाही की जांच अदालतों के क्षेत्राधिकार से बाहर
- (ग) उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील की विशेष इजाजत
- (घ) अनुदान मांगों की स्वीकृति की लोक सभा की शक्ति
- (ङ) नियंत्रक व महालेखापरीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां

Q.7. Describe any three of the following as per the Constitution of India with relevant authority.

- a) “Money Bills” and its introduction in Houses or Parliament.
- b) Restriction on discussion in Parliament and Courts not to inquire into proceedings of Parliament.
- c) Special leave to appeal by the Supreme Court.
- d) Votes on account, votes of credit and exceptional grants.
- e) Duties and powers of the Comptroller and Auditor-General and its reports.